

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03077/2021-2022

दिनांक 26/03/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/GON/17240/2021-2022

पत्रावली संख्या: F-22666

दिनांक: 2006-2007

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि गोनद कल्याण वाहिनी समिति, नवाबगंज पो० नवाबगंज तहसील तरबगज जिला गोण्डा, गोण्डा, 271303 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1162/2006-2007 दिनांक-30/12/2006 को दिनांक-30/12/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1200 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक रूप से प्राप्त हो गयी है।



**Digitally Signed By
(VANDNA SINGH)**

6E75D31DDC68DD7047DFD9193A489C5FB0C6EF66

Date: 26/03/2022 5:47:48 PM, Location: Ayodhya.

जारी करने का दिनांक-26/03/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

भारतीय गैर स्थायिक

दस
रुपये
₹.10

3140

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

98AC 970547



सत्य प्रतिक्रिया

उप लिखनक
मेरे समितियै तथा विद्या
विभाग (२०५०)
२२/६/१७

संशोधित स्मृति पत्र

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. संस्था का नाम | : | गोनद कल्याण वाहिनी समिति |
| 2. संस्था का पूरा पता | : | नवाबगंज, पोस्ट नवाबगंज, तहसील तरबगंज,
जनपद गोणडा (उ0प्र0) |
| 3. संस्था का कार्यक्षेत्र | : | सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश। |
| 4. संस्था का उद्देश्य | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. क्षेत्र में शिक्षा, सेवा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण हेतु केन्द्रों की स्थापना, व्यवस्था संचालन एवं नियन्त्रण करना। 2. जन कल्याण/राष्ट्रीय विकास हेतु सामाजिक संगठन का गठन/संचालन एवं नियन्त्रण करना। 3. दैविक/आकस्मिक आपदाओं जैसे—बाढ़, भूकम्प, आगजनी, दुर्घटना आदि के समय जन सहभागिता से पीड़ितों को आर्थिक मदद करना एवं उनके पुनर्वास की निशुल्क व्यवस्था करना। 4. क्षेत्र में व्याप्त सामाजिक कुरितियों जैसे—छुआछूत, नशाखोरी, नारी उत्पीड़न, बालश्रम आदि के प्रति लोगों को जागरूक बनाना तथा इन्हें दूर करने का प्रयास करना। 5. दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना एवं निर्धन परिवार की कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
शादी विवाह एवं मृत्युभोज के अवसरों पर फिजूलखर्चों के प्रति समाज को जागरूक करना। 6. निम्नतम स्तर के लोगों का जीवन स्तर उठाने एवं उनके समग्र विकास हेतु हर सम्भव सहायता करना। 7. ग्रामीण स्तर पर खेलकूद/क्रीड़ा कार्यक्रमों को बढ़ावा देना तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। 8. पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने के लिये क्षेत्र के लोगों को वृक्षारोपण के लिये प्रोत्साहित करना एवं सामाजिक वानिकी/कृषि वानिकी/फलदार पौधों को लगाने के लिये शिक्षण—प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था करना। 9. क्षेत्र में पर्यावरण सुधार पर कार्य करने वाले नवयुवकों को पुरस्कृत करना। 10. जनहितार्थ चांचालित सरकारी/अर्द्ध सरकारी सेवाओं के प्रति लोगों को जाग्रत करना ताकि उन योजनाओं का लाभ जन-सामाज्य को मिल सके। |



संवत् प्रतिलिपि

उप निवारक
मंत्री विविध तथा विविध
कार्यपाद (उ० प्र०)
३१/०३/१७

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

12. कृषकों की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण करने के लिये प्रभावी उपाय करना एवं उनकी उपज का वास्तविक मूल्य दिलाने के लिये नियमानुसार प्रयास करना।
13. कृषकों को उन्नतिशील बीज, कृषि यन्त्र तथा कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी देना।
14. ग्रामीण महिलाओं/बेरोजगार नवयुवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये स्वतः रोजगारपरक प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था/संचालन/नियन्त्रण करना।



15. साक्षरता बढ़ाने के लिये प्राथमिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा हेतु शिक्षण प्रशिक्षण की निशुल्क व्यवस्था करना।
16. विकलांगों/मन्द बुद्धि बालक—बालिकाओं/मूकबधिरों/नेत्रहीनों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा एवं पुर्नवास की निशुल्क व्यवस्था करना।
17. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश/विदेश की सरकारों/संगठनों से सहायता प्राप्त करना।
18. ग्राम स्तर पर गो—संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करना।
19. अनाश्रित वृद्धों, बच्चों, महिलाओं के जीवनयापन हेतु उपाय करना।
20. प्राचीन भारतीय विधाओं के प्रचार—प्रसार एवं पुनर्जीवित करने हेतु शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं शोध छात्रों को सहायता प्रदान करना।
21. भारतीय संस्कृति एवं मानवीय मूल्यों/नैतिक कर्तव्यों के प्रति नवयुवकों को प्रेरित करना।
22. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये व्यायाम केन्द्रों/योगासन केन्द्रों की स्थापना/निशुल्क संचालन करना।
23. ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों की निशुल्क व्यवस्था करना।
24. क्षेत्र के नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु विधिसम्मत शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कार्यक्रमों का संचालन करना।
25. मानवीय एवं सामाजिक हितों की रक्षा एवं उत्थान हेतु गोनर्द सेवा केन्द्र की स्थापना व गठन कर संचालन/नियन्त्रण करना तथा राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को अक्षुण्ण बनाये रखना।
26. क्षेत्र के जनमानस को जनता का अधिकार, जनता के द्वार की भावना का मूर्त रूप प्रदान करने के लिये प्रेरित करना।
27. भूमिहीन श्रमिकों/सीमान्त कृषकों/ग्रामीण दस्तकारों/आदिवासी/



अनुसूचित जाति तथा अन्य कमज़ोर एवं निर्धन वर्गों के लिये ग्राम-उद्योग के माध्यम से जीविका के साधन उपलब्ध कराना।

28. शोषित पीड़ित वर्गों के सामाजिक/शैक्षिक विकास के लिये ग्रामोद्योगिक शिक्षण/प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।
29. प्रवृष्टि नियन्त्रण एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों को संचालित करना।
30. कृषि की उन्नत तकनीकों को कृषकों तक पहुँचाने के लिये प्रदर्शनी/सेमिनार आयोजित करना।
31. अनाथ/बेसहारा/अति निर्धन बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना।
32. देश से अशिक्षा को दूर करने के लिये हर सम्भव प्रयास करना।
33. संस्था के उत्थान के लिये विशेष योजना बनाना, इस पर अमल करना तथा इसकी देखभाल करना।
34. लोकतान्त्रिक व्यवस्था में मतदान की महत्ता को दृष्टिगत करते हुये मतदाताओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिये प्रेरणा देना, आवश्यकतानुसार गोष्ठियों के माध्यम से उनको अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना।
35. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना।
36. प्राइमरी से उच्च स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं, विद्यालयों का संचालन/प्रबन्धन करना तथा प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन/पुरस्कृत करना।
37. राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न उच्लल समस्याओं का सर्वेक्षण करना एवं उनके निराकरण हेतु लोगों को जाग्रत करना।
38. धिक्किस्ता शिक्षा/तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण एवं अन्य सम्बन्धित कार्यक्रमों का निःशुल्क संचालन/प्रबन्धन करना।
39. स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान देने वाले स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को समय-समय पर सम्मानित करना एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर सेनानियों के परिवारों को आर्थिक/शैक्षिक/अन्य सहायता प्रदान करना तथा उनके परिवारों को हर सम्भव सहायता/मदद करना।
40. सरकारी/अद्वासरकारी/निकायों के अनुसार सर्वेक्षण का कार्य करना।

41. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था अपनी सम्पत्ति (चल/अचल) को किसी वित्तीय संस्थान/संस्था से अपनी सम्पत्ति को बंधक कराकर आर्थिक सहायता अथवा ऋण प्राप्त करना।

42. समाज कल्याण विभाग उ०प्र०, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्ड, कपार्ट, नावार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डब्बाकरा, सिफसा, सैफ इण्डिया, हेल्पेज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, नीराड, आक्सेम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, दूडा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निवेशालय उ०प्र० विकलांग कल्याण निवेशालय द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार एवं संचालन करना।

43. कृषि वानिकी, भूमि सुधार, औषधीय एवं संगधीय पौधों की खेती करना, बंजर भूमि को सुधार कर उपयोगी एवं कृषि योग्य बनाना, जैविक कृषि हेतु किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण देना।

44. व्यर्थ पड़ी हुई परती भूमि का पट्टा लेकर सदुपयोग करना उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, वृक्षारोपण, स्कूल कालेज/महाविद्यालय खोलना तथा भूमि सुधार कार्यक्रम का संचालन करना।

45. वैकल्पिक कर्जा के विभिन्न श्रोतों, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा के विकास एवं संरक्षण के विषय में जनजागरण अभियान चलाना तथा ऊर्जा प्रबन्धन विषयों पर उन्हें प्रशिक्षित करना।

46. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम शिक्षा, अभिनय/नृत्य/ संगीत/कला/ शिल्पकला/ मूर्तिकला/ललितकला शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, भू-विज्ञान, प्रबन्ध शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, वाणिज्य शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा, जैव-रसायन शिक्षा, जैव-प्रौद्योगिकी शिक्षा, सूक्ष्म-जैविकी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी शिक्षा, विभिन्न विषयों में विद्या वारिधि शिक्षा/समकक्ष शिक्षा प्रदान करना।

47. कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बालक-बालिकाओं को विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों का ज्ञान-शिक्षा प्रदान करना।

48. सरकार द्वारा चलायी जा रही कौशल विकास योजना के अन्तर्गत बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित कर उनको आत्मनिर्भर बनाना।

गोनर्द कल्याण वाहिनी समिति

नवाबगंज, पोस्ट नवाबगंज, तहसील तरबगंज, जनपद गोण्डा (उ0प्र०)
की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष 2022-2023

क्र०	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री सुदीप भूषण सिंह पुत्र श्री शशिभूषण शरण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री राम कृपाल सिंह पुत्र स्व० श्री बोदिल सिंह	ग्राम अनभुला पोस्ट चन्द्रपुर, जिला गोण्डा	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री बृजभूषण शरण सिंह पुत्र स्व० श्री जगदम्बा शरण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	प्रबन्धक	समाजसेवा
4.	श्री कर्ण भूषण सिंह पुत्र बृजभूषण शरण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	उप-प्रबन्धक	कृषि
5.	श्री बृज लाल सिंह पुत्र स्व० श्री राम नरायन सिंह	ग्राम व पोस्ट चन्द्रपुर, जिला गोण्डा	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री सुमित भूषण सिंह पुत्र स्व० श्री शशिभूषण शरण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	सदस्य	कृषि
7.	श्रीमती नेहा सिंह श्री कर्ण भूषण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	सदस्य	कृषि
8.	श्री प्रतीक भूषण सिंह पुत्र बृजभूषण शरण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	सदस्य	कृषि
9.	श्री सन्दीप सिंह पुत्र श्री विमल देव सिंह	ग्राम सोहरत पोस्ट बनकटवा वेहात जिला गोण्डा	सदस्य	कृषि
10.	श्री घनश्याम पुत्र श्री खेमराज	ग्राम काजीपुर पोस्ट शिवदयालगंज जिला गोण्डा	सदस्य	कृषि
11.	डॉ० श्रीमती राजश्री सिंह पत्नी श्री प्रतीक भूषण सिंह	ग्राम व पोस्ट विश्नोहरपुर, नवाबगंज, गोण्डा	सदस्य	समाजसेवा